न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 58/2022(2022/201)

1. देवीशंकर पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी सावर हाल जनता कॉलोनी देवली तहसील देवली जिला टोंक।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।
2. भूरा पुत्र श्री कंवरी लाल गुर्जर।
3. रामदयाल पुत्र श्री कंवरीलाल गुर्जर।
   निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
4. शिवप्रतापसिंह पुत्र श्री महावीरसिंह राजपूत निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री हेमन्त जैन
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत 2073—76 में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
786—766	5060/5953	1.34	बारानी 3
	कुल किता 1	रकबा 1.34हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के ही कब्जे, काश्त एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी ही उक्त आराजीयात का खातेदार कृषक हैं। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा जिस कारण आराजीयात के पडोसी अप्रार्थी से कब्जे काश्त के समय छोटी—छोटी बातों पर लडाई झगडे होते है तथा अप्रार्थी येनकेन प्रकार से प्रार्थी को उसकी आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू रहते हैं। वर्तमान में भी मौके पर आराजीयात के स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है तथा जिस कारण अप्रार्थी 2 लगायत 4 की नीयत प्रार्थी की आराजीयात के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की है तथा इस कारण वे लडाई झगडा कर आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है, जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थी को यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। प्रार्थी दिनांक 25.04.2022 को आराजी की देखभाल करने गये तो अप्रार्थी ध्पड़ोसियों 2 लगायत 4 ने सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में भी काश्त नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करन लाजमी आया है। प्रार्थी पत्थरगढी की फीस नियमानुसार अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 लेण्ड लोर्ड होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी उक्त आराजीयात पर पत्थरगढी करान आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को उर्ध नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 को बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में राजनित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके नाम सावर तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2073–75 के खाता संख्या नया पुराना 786–766 के खसरा नंबर 5060/5953 रकबा 1.34हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner